फर्द अहकाम

राज0 सरकार बनाम चन्द्रशेखर

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 17/2025

क्रं0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.08.2025	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जोबनेर द्वारा पत्रांक 1512 दिनांक 19.08.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्ररतुत की गयी है कि राजस्व ग्राम माच्छरखानी तहसील जोबनेर के आराजी खसरा नंबर 1986/1064 रकबा 0.4653 हे0 में से 0.1381 हे0 भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की जा चुकी है। तहसीलदार, जोबनेर के पत्रांक 1356 दिनांक 29.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम माच्छरखानी का खसरा नंबर 1986/1064 रकबा 0.4653 हे0 में से 0.1381 हे0 भूमि का भू–रूपान्तरण गैर कृषिक प्रयोजनार्थ में हो चुका है। तत्पश्चात 0.3272 हे0 भूमि का नामान्तरकण संख्या 2129 दिनांक 11.06.2025 समर्पण द्वारा खसरा नंबर 2001/1996 रकबा 0.1124 हे0 गै0मु0 रास्ता व खसरा नंबर 2002/1996 रकबा 0.0950 हे0 बारानी 2 एवं खसरा नंबर 2003/1996 रकबा 0.1198 किस्म बा0 2 कुल किता 3 रकबा 0.3272 हे0 स्वीकार हुआ। जिसमें खसरा नंबर 2001/1996 गै. मु. रास्ता मौके पर रास्ता उपयोग में लिया जा रहा है। खसरा नंबर 2003/1996 रकबा 0.1198 हे0 मे मौके पर दुकाने बन रही है व लगभग आधी भूमि खाली पडी है। बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा अपनी आराजीयात का संपरिवर्तन करा लिया गया है। प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के कारण अमल में लायी गयी थी। परन्तु प्रतिवादी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा कर विवादीत आराजीयात का संपरिवर्तन करा लिया गया। इसलिए प्रकरण को खारिज फरमाया जावें। बहस अधिवक्ता प्रतिवादी पर मनन किया गया। पत्रावली, उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल जोबनेर के पत्रांक 1512 दिनांक 19.08.2025 का अवलोकन किया गया। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1986/1064 रकबा 0.4653 हे0 में से	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर)

		0.1381 हे0 भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की जा चुकी है। सम्परिवर्तन के पश्चात शेष रही 0.3272 हे0 भूमि नामान्तरकण संख्या 2129 दिनांक 11.06.2025 समर्पण द्वारा खसरा नंबर 2001/1996 रकबा 0.1124 हे0 गै0मु0 रास्ता व खसरा नंबर 2002/1996 रकबा 0.0950 हे0 बारानी 2 एवं खसरा नंबर 2003/1996 रकबा 0.1198 किस्म बा0 2 दर्ज हो चुका है। तहसीलदार, जोबनेर के पत्रांक 1356 दिनांक 29.08.2025 के अनुसार खसरा नंबर 2003/1996 रकबा 0.1198 हे0 मे मौके पर दुकाने बन रही है व लगभग आधी भूमि खाली पडी है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1986/1064 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही अमल में लाने का कारण कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करना ही था। परन्तु उक्त भूमि का वर्तमान में आंशिक संपरिवर्तन हो चुका है तथा शेष रही भूमि का नए खसरा नंबरान दर्ज हो चुक है। तहसीलदार, जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2025 के अनुसार वर्तमान में खसरा संख्या 2003/1996 रकबा 0.1198 हे0 भूमि पर दुकानों का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में पूर्व में तहसीलदार, जोबनेर द्वारा तत्कालीन खसरा नंबर 2003/1996 के विरूद्ध की गयी कार्यवाही औचित्यहीन हो चुकी है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत शर्त भंग के कारण सिवायचक घोषित करने व बेदखली करने हेतु खारिज किया जाता हैं। तथा तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि नवीन खसरा नंबर 2003/1996 वाकै ग्राम माच्छरखानी के संबंध मे जांच कर, यदि कृषि भूमि का गैर कृषिक कार्य हेतु उपयोग बिना सक्षम स्वीकृति/सम्परिवर्तन के किया जा रहा है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर)	